

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1) विभाग


क्रमांक : प.5(1)कार्मिक/क-1/ 2019

जयपुर, दिनांक : 03-01-2019

आज्ञा

श्री रजत कुमार मिश्रा, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल सचिवालय, सम्पदा, स्टेट मोटर गैरेज एवं नागरिक उड्डयन विभाग एवं पदेन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एवं महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, राजस्थान, जयपुर जो वर्तमान में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्भाल रहे हैं, अपने पदों के कार्यों के साथ-साथ अध्यक्ष. राजस्थान आवासन मण्डल. जयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक संपादित करेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)

संयुक्त शासन सचिव
0141-2227347


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 5 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 6 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 7 अनुसंधान अधिकारी, (केरियर मैनेजमेंट) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 8 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 9 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 10 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 11 एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 12 रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 2 प्रमुख आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।


संयुक्त शासन सचिव
03/01/19